

FROM NO-3

फर्द अहकाम

(नियम26)

अज अदालत एस0डी0ओ0 मुकाम सरवाड़
 श्रीमती आशा पुत्री स्व0भंवरलाल पत्नी बनाम पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र स्व0 भंवरलाल शर्मा
 भैरूलाल शर्मा जाति ब्राहमण नि0बिलियां
 किस्म मुकदम 212 आर0टी0एक्ट 24 नं. सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए।
20.03.2018	<p>पत्रावली श्री महेन्द्र सिंह राणावत् एड0 ने पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थीयां को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न पर उनके निवेदन पर सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दु निहित होने से ग्राम बीलिया की जमाबंदी संवत् 2067-70 के खाता संख्या नया-पुराना 73-26,76-68,75-27, जमाबंदी संवत् 2060-63 के खाता संख्या नया-पुराना 26-26, संवत् 2071-74 की जमाबंदी के खाता संख्या नया-पुराना 83-95,88-73,85-97,87-97,84-96,86-96 मे दर्ज विरासत के नामान्तरण के संख्या 342 दिनांक 21.07.2009 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अतः जवाब प्रस्तुत करने तक अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात किसी दीगर को विक्रय, हस्तान्तरित नही करे एवं अपीलांट के संयुक्त कब्जे काशत उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अप्रार्थीगण के जवाब हेतु मिसल दिनांक 19.04.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सरवाड़</p> <p><u>19-04-18</u> पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व क्षेत्र में राजीनामा हेतु दिनांक <u>25-05-18</u> मां.पं. <u>रामपाली</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सरवाड़</p> <p><u>25-05-18</u> पत्रावली आज अदालत सेवा केंद्र रामपाली में पेश हुई अपीलार्ड के अपील अलग से विचाराधीन है अतः अपील के निस्तारण तक मौका एवं रिकॉर्ड की प्रथास्थिति बनाए रखी जाए। खर्चा फरिक्व अपना-अपना वहन करे निर्वाच अदालत सेवा केंद्र रामपाली में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p>सदस्य लोक अदालत सिविल सरवाड़ (अजमेर)</p> <p>सदस्य लोक अदालत सिविल सरवाड़ (अजमेर)</p>	<p>आशा शर्मा</p>